

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारी:- पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं.:- 38/2017

रतनसिंह पुत्र खमानी जाति गुर्जर निवासी नौगाया तहसील व
जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1.मुकेश कुमार }
2.महेश कुमार } पिसरान रूपराम जाति जांगिड ब्राह्मण
निवासी नौगाया तह0 व जिला भरतपुर

3.द्वारकाप्रसाद पुत्र चुन्ना जाति ब्राह्मण निवासी नौगाया तह0 व
जिला भरतपुर।

4.जगन्नाथ पुत्र भगवत जाति ब्राह्मण निवासी नौगाया तह0 व
जिला भरतपुर।

5.डालचन्द पुत्र लालाराम जाति टाकुर निवासी नौगाया तह0 व
जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक:-14.02.2018

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र U/S 212 आर.टी.ए. इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1189/0.24 वाके ग्राम नौगाया तहसील भरतपुर में स्थित है इस आराजी में प्रार्थी 1/3 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है।

आराजी मुतनाजा का कोई कानूनी बटवारा नहीं हुआ है। शामलात में खातेदारी है इसलिए काश्त करने में तनाजा रहने लगा है और शामलात में लगान है। इसलिए सायल बटवारा करा पाने का अधिकारी है। दिनांक 05.06.2017 को अप्रार्थीगण ने समस्त आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी है और मौके पर खण्डा लाकर भी डाल दिये है और निर्माण करने की धमकी दी है। अगर अप्रार्थीगण अपनी धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थी को ऐसा लौस होगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी नकद से नहीं हो सकेगी। इस प्रकार प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि

गैरसायलान आराजी मुत0 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण आराजी मुत0 खसरा नम्बर 1189/024 वाके ग्राम नौगाया पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें और समस्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में कयास होन पर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2017 को अप्रार्थीगण को आराजी ख.नं. 1189/0.24 वाके ग्राम नौगाया तहसील भरतपुर पर राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए और अपना जवाब प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया है कि वाके ग्राम नौगाया स्थित खसरा नम्बर 1189/0.24 पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थीगण मनवट के आधार पर आराजी पर काबिज है और अप्रार्थीगण द्वारा पुख्ता निर्माण कर रिहायश की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। बिन्दुवाइज विवेचना निम्न प्रकार है:-

प्रथम दृष्टया प्रकरण:- प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में जमाबंदी संवत 2068-2071 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वाके ग्राम नौगाया स्थित आ.ख.नं. 1189 रकवा 0.24 हैक्टर पर प्रार्थी 1/3 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का दावा भी विभाजन से सम्बन्धित है। उक्त आराजी में प्रार्थी के अलावा अप्रार्थी स. 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 5 भी क्रमशः 1/3-1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। जब तक उक्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक सहखातेदार आराजी का प्रत्येक इंच पर हिस्सानुसार हिस्सेदार रहेगा।

अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब में अंकित किया है कि वे आराजी पर मनवट के आधार पर काबिज है और उनके द्वारा पुख्ता निर्माण कर रिहाइश की जा रही है। चूंकि प्रार्थी उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। बंटवारा नहीं होने तक मनवट के आधार निर्माण नहीं किया जा सकता। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद अभी कायमी तनकीयात की स्टेज पर है। जिसमें कानूनी तनकी कायम की जाकर साक्ष्य आदि लेकर आराजी के सह खातेदारान के मध्य पृथक-पृथक कुरा तैयार किये जाने के बाद ही उनके अलग-अलग खाते कायम किये जा सकते हैं। प्रार्थी उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होना प्रतीत होता है। वाद बहुलता में बढोत्तरी नहीं हो इसलिए प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखना न्यायाहित में आवश्यक है।

2. सुविधा का संतुलन:- प्रार्थी वाद ग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक बखूबी सिद्ध होता है।

1. अपूर्णनीयक्षति :- यदि दौराने दावा अप्रार्थीगण द्वारा वाद ग्रस्त आराजी को बिना विभाजन कराये किसी भी प्रकार से अन्यत्र हस्तांतरण व खुर्द बुर्द किया जाता है तो अपूर्णनीयक्षति भी प्रार्थी को अप्रार्थीगण की अपेक्षा अधिक होगी। अतः पर बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के हक में प्रमाणित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है:

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 07.06.2017 की पुष्टि की जाती है। अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधा इस कदर पावंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम नौगाया तहसील भरतपुर स्थित आ.ख.न. 1189/0. 24 की ताफैसला मूलवाद राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखें। निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर भरतपुर

